की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिये कोई नीति बनाई है या यह पूर्णतः निर्माताओं और व्यापारियों की इच्छा पर ही निर्भर है ;

(ख) फरवरी, 1987 में रिन, लाइफबॉय, हमाम और लक्स साबुन की कीमतें क्या थी तथा अब अगस्त, 1987 में क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार वास्तव में कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने में स्वयं को असमर्थ पाती है ; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान उक्त साबुन निर्माताओं में से किसी को कीमतों में वृद्धि करने पर गिरफ्तार किया है या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सरकार देश में साबुन में प्रयुक्त होने वाले तेलों की मांग और उनकी आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए हर वर्ष अपरिष्कृत पाम स्टीयरिनय/पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट का आयात करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साबुन के मूल्य उचित सीमा में बने रहें।

(ख) एक विवरण संलग्न है। (**नीचे देखिये**)।

(ग) सरकार देश में साबुन में प्रयुक्त होने वाले तेलों की मांग और उनकी आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए हर वर्ष अपरिष्कृत पाम स्टीयरिन/पाम फेटी एसिड डिस्टिलेट का आयात करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साबुन के मूल्य उचित सीमा में बने रहें।

(घ) साबुनों और अपमार्जकों के मूल्यों और उनके वितरण पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

विवरण

साबुन के खुदरा मूल्य

(रुपये प्रति टिकिया)

	25.2.87 को	25.8.87 को
1. रिन अपमार्जक साबुन 125 ग्राम	2.95	3.15
2. लाइफबाय साबुन .	2.85	3.30
3. लक्स साबुन .	3.10	4.00
4. हमाम साबुन .	3.30	3.95

(स्रोत : सुपर बाजार, नई दिल्ली)

दिल्ली प्रशासन की भूमि अधिग्रहण संबंधी नीति

4221. **श्री रशीद मसूद :**
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में भूमि अधिग्रहण संबंधी अपनी नीति में परिवर्तन करने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नई नीति अपनाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1987 में, यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में आयोजना-भिन्न प्रयोजनों के लिए अपेक्षित भूमि सहित सभी भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से अर्जित की जाएंगी। अधिग्रहण करने वाला विभाग प्रस्तावित अर्जन के लिए अपना प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण तब दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए भूमि के अर्जन की वर्तमान पद्धति का अनुपालन करते हुए भूमि अर्जित करेगा।

(ग) जिन किसानों की भूमि इस प्रकार अर्जित की जाती है, इनको वैकल्पिक प्लाट के लिए पात्र बनाने हेतु

दिल्ली के गांवों की भूमि का अधिग्रहण

4222. **श्री रशीद मसूद :**
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा हाल ही में दिल्ली के तेरह छोटे गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिग्रहण किये जाने हेतु कितनी भूमि के लिये नोटिस दिया गया था उसमें से कितनी भूमि वास्तव में अधिग्रहीत की गई ; और

(घ) जिस भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिये दक्षिण दिल्ली के 13 गांवों में 54,959 बीघा और एक बिस्वा भूमि को भूम अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिसूचित किया गया था और 42,530 बीघा 16 बिसवा भूमि के लिये अवार्ड की घोषणा मई–जून 1987 में की गई थी। प्रथमतः खाली भूमि का कब्जा लेने की निर्णय लिया गया था।

(ग) अब तक 9 गांवों में लगभग 7000 बीघा भूमि कब्जे में ली गयी है।

(घ) 1207 बीघा 15 बिसवा भूमि छोड़ दी गई थी क्योंकि दिल्ली नगर निगम द्वारा भवन नक्शें 5–11–80 से पूर्व स्वीकृत किये गये थे । छतरपुर मंदिर प्राधिकारियों से संबंधित 87 बीघा 12 बिस्वा भूमि भी अधिसूचना मुक्त कर दी गई थी । 1746 बीघा 6 बिस्वा भूमि दिल्ली उच्च न्याय लय के यथा स्थिति आदेशों के अन्तर्गत शामिल है । इसके अलावा, 3073 बीघा 15 बिस्वा भूमि निर्मित होने के कारण छोड़ दी गई थी कुल 42,530 बीघा 16 बिस्वा भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण अवार्ड मई-जून, 1987 में घोषित किए गये थे । 14833 बीघा 3 बिस्वा भूमि बाद में अधिसूचिना मुक्त कर दी गई थी और वनरोपण के लिए विकास आयुक्त, दिल्ली को दे दी गई थी क्योंकि वह भूमि ग्राम सभाओं से संबंधित थी ।

सरदार सरोवर परियोजना के लिए केन्द्रीय अनुदान

4223. **कुमारी सईदा खातून** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरदार सरोवर परियोजना को दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री जी० एस० ढिल्लों) : (क) और (ख) सरकार सरोवर परियोजना का वित्त-पोषण राज्य सरकारें अपनी योजना धनराशि में से कर रही हैं राज्यों को केन्द्रीय सहायता निर्धारित सिद्धांत के अनुसार समूची योजना के लिए उपलब्ध कराई जाती है । अनुदान में वृद्धि करने का कोई प्रस्तावित नहीं है

Allotment of quarters to Central Government Employees

4224. SHRI M. KADHARSHA:
SHRI F. M. KHAN:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state

(a) what is the allotment year at present under which Central Government quarters